(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ठगी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) "चाइल्ड प्रोडक्शन स्कीम" के अंतर्गत धोखाधडी के कोई कार्य श्रम मंत्रालय के ध्यान में नहीं आए हैं ।

Pension scheme for Organised Sector

3347. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR : SHRI SURESH PACHOURI :

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Starred Question 100 given in the Rajya Sabha on the 30th November 1992; and State :

(a) whether Ministry of Finance has furnished its final comment on the pension scheme for employees in the organised sector;

(b) if so, what are the details of the scheme; and

(c) by when the scheme is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The scheme provides for payment of monthly pension in the contigencies of superannuation, retirement, permanent total disablement, death etc. It is likely to be implemented w.e.f. 1-4-1993.

Ex-gratia payment to the employees of certain Regional Offices of E.P.F. Organisation

3348. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the E.P.F. Organisation has paid a lump sum amount of Rs. 500/- to the employees of certain sub-regional and regional offices totalling about Rs. 80 lakhs;

(b) whether a prior sanction of the Finance Ministry was obtained to incur such a heavy expenditure;

(c) what are the rules with regard to ganting of ex-gratia payment to the E. P. F. employees;

(d) whether the said rules have been violated in granting ex-gratia payment to the extent of Rs. 80 lakhs; and

(e) if so, what corrective measures Government proposes to take in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

विद्युत नगर दादरी में कार्यरत ठेका श्रमिकों का शोषण

3349. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम कानूनों में त्रुटियों के कारण देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत ठेका श्रमिकों जैसे लाखों श्रमिकों का शोषण हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्माणाधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत परियोजना, विद्युत नगर, दादरी में कार्यरत आठ हजार से अधिक ठेका श्रमिक शोषण और अत्याचार के शिकार हैं जैसाकि दिल्ली से प्रकाशित जनसत्ता के 25 जनवरी, 1993 के संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन त्रुटियों का पता लगाने और श्रम-कानूनों में समुचित संशोधन करने के लिए श्रमिक-प्रतिनिधियों और न्यायविदों की एक समिति पुनर्गठित करने का विचार रखती है; और

(घ) श्रम कानूनों में संशोधन संबंधी कितने प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम सहित सभी श्रम कानूनों का प्रयोजन कर्मकारों के शोषण को रोकना है । जब कभी भी इन श्रम कानूनों के बारे में कोई कमी ध्यान में आती है, सरकार